न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 325 / 2024

अनवान : –

1. गणेश शर्मा पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुरली शंकर पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. पुष्पा पत्नी द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. धनपति पुत्री द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. सुनिता पुत्री द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. बेबी पुत्री द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 169 / 99 की कुल 3.1630 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 67 / 60 की कुल 6.7410 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 65 / 65 की कुल 1.5054 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम का स्वर्गवास हो चुका है द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादी व प्रतिवादी स0 1 की माता है तथा प्रतिवादी स0 3 ता 5 जो की की वादी व प्रतिवादी स0 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल कियें गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम का स्वर्गवास हो चुका है द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादी व प्रतिवादी स0 1 की माता है तथा प्रतिवादी स0 3 ता 5 जो की की वादी व प्रतिवादी स0 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 169/99 की कुल 3.1630 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 67/60 की कुल 6.7410 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि हैक्ट भूमि द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 65/65 की कुल 1.5054 प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड रिकार्ड में द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम का स्वर्गवास हो चुका है द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादी व प्रतिवादी स0 1 की माता है तथा प्रतिवादी स0 3 ता 5 जो की की वादी व प्रतिवादी स0 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 169/99 की कुल 3.1630 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 67/60 की कुल 6.7410 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 65/65 की कुल 1.5054 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 325/2024

अनवान : –

1. गणेश शर्मा पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुरली शंकर पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. पुष्पा पत्नी द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. धनपति पुत्री द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. सुनिता पुत्री द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. बेबी पुत्री द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 325 सन 2024 निर्णय दिनांक 18/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 169/99 की कुल 3.1630 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 67/60 की कुल 6.7410 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक द्वारका प्रसाद पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 65/65 की कुल 1.5054 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर